संख्या– 755/अरसठ–4–2019–2750/2012

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

2. सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0 प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 17 अक्टूबर, 2019

विषयः– उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा–2019 एवं आगामी उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के आयोजन हेतु संशोधित/नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या–गोप0/टी0ई0टी0–19/15535–38/2019–20 दिनांक 16.10.2019, जिसके द्वारा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा–2019 एवं आगामी उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के आयोजन हेतु संशोधित/नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा–2019 के आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम/समय–सारणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या–1263/68–4–2018–2750/2012 दिनांक 14.09.2018 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त को अतिक्रमित करते हुए उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा–2019 एवं आगामी उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के आयोजन हेतु संशोधित/नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा–2019 के आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम/समय–सारणी संलग्न कर निर्गत किया जाता है। उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)–2019 दिनांक 22.12.2019 को सम्पन्न होगी तथा परीक्षाफल दिनांक 21.01.2020 को घोषित किया जायेगा।

अतएव कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय
(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

SU TET DEL GO

–2/

संख्या– /68–4–2019–2750/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा/साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. बेसिक शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

SU TET DEL GO

शासनादेश संख्या– 755 /अरसठ–4–2019–2750/2012 दिनांकः 17 अक्टूबर, 2019 का संलग्नक

उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)–2019 एवं आगामी उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षाओं (UPTET) के आयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त।

1- पृष्ठभूमि और तर्क आधार

(1) बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दिनांक 23–अगस्त, 2010, दिनांक 29 जुलाई, 2011 एवं दिनांक 28 जून, 2018 की अधिसूचना के तहत कक्षा I से कक्षा VIII तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गयी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–2 (एन) में दिये गये विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन एनसीटीई द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जायेगा। एन0सी0टी0ई द्वारा दिनांक 11.02.2011 को शिक्षक पात्रता परीक्षा सम्पादित कराये जाने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

(2) उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में शासनादेश सं0 1263/68–4–2018–2750/ 2012 दिनांक 14.09.2018 द्वारा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 आयोजित कराये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये थे। गत परीक्षाओं में आने वाली कठिनाईयों एवं ऑनलाइन आवेदन की तकनीकी संरचना, में परिवर्तन किये जाने के कारण पूर्व में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त दिनांक 14.09.2018 को अतिक्रमित करते हुए नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया जा रहा है।

(3) एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने हेतु एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी को शामिल करने का तार्किक आधार इस प्रकार है :–

i. यह भर्ती प्रकिया में शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा।
ii. यह शिक्षा संस्थानों व इन संस्थानों के शिक्षक और छात्रों को अपने निष्पादन स्तरों में आगे सुधार के लिए प्रेरित करेगा।
iii. इससे सभी सम्बन्धित को एक सकारात्मक संकेत जायेगा कि सरकार शिक्षक गुणवत्ता पर विशेष जोर दे रही है।

(4) परीक्षा आयोजित कराने हेतु संस्था का निर्धारण एवं कार्य दायित्वः–

(1) शासनादेश संख्या 946/15–11–2013–2750/2012 दिनांक 17 अप्रैल 2013 के पत्र द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अतिक्रमित करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के संचालन/आयोजन की जिम्मेदारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी गयी है।

(2) परीक्षा संस्था के रूप में नामित परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा परीक्षा को ससमय सम्पन्न कराये जाने हेतु बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभागों/अनुभागों द्वारा भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा विषय विशेषज्ञों का चयन करके प्रश्नपत्रों का निर्माण कराया जायेगा साथ ही मुद्रण व परीक्षाफल भी तैयार कराया जायेगा इस हेतु एजेन्सी का चयन तथा पारिश्रमिक की दरें भी तय की जायेंगी।

2- संक्षिप्त नाम

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त "उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)" के रूप में जाने जायेंगे।

3- परिभाषाएं

i. "सरकार" का आशय "उत्तर प्रदेश सरकार" से है।

ii. "विद्यालय" का आशय ऐसा कोई विद्यालय जहाँ आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार यूपीटीईटी लागू है।

iii. "यूपीटीईटी" का आशय "उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट" से है।

iv. "अर्हक परीक्षा" का आशय "परीक्षा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हो जाता है"।

v. "मार्गदर्शी सिद्धान्त" का आशय "उत्तर प्रदेश सरकार के निदेश के तहत यूपीटीईटी के आयोजन हेतु विनिर्दिष्ट सिद्धान्त" से है।

vi. "अनुसूचित जाति" का आशय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति" से है।

vii. "अनुसूचित जनजाति" का आशय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति" से है।

viii. "अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0पि0व0)" का आशय "उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग" से है।

ix. "विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्ति" का आशय "उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और विनिर्दिष्ट विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्ति" से है।

x. "परीक्षा कराने वाला निकाय" का आशय "उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ की इकाई "परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, 23 एलनगंज, प्रयागराज" से है।

4- परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप –

i. परीक्षा की अवधि ढाई घण्टा अर्थात् कुल 150 मिनट होगी।

ii. परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होगे।

iii. नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

iv. परीक्षा सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

5- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यमः–

1. अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर लॉगिन करके केवल आनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन फार्म की प्रस्तुति से पहले निम्नलिखित तैयारियाँ आवश्यक हैः–

(क) अभ्यर्थी के पास आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय नवीनतम फोटोग्राफ और हस्ताक्षर (केवल जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में) अपलोड करने के लिए स्कैन इमेज होनी चाहिए।

(ख) आवेदन पत्र पूरित करने से पूर्व अभ्यर्थी को, ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगी, आवेदन शुल्क की धनराशि, निर्दिष्ट बैंक की नवीनतम तकनीकी द्वारा निर्धारित भुगतान के माध्यम से, जमा करना अनिवार्य होगा।

(ग) आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आवेदनपत्र की अन्तिम प्रस्तुति के लिए शुल्क जमा करने के साक्ष्य के रूप में निर्धारित बैंक द्वारा प्राप्त ट्रान्जेक्शन आई.डी. संख्या अभ्यर्थी अपने पास रखेंगे।

6- पात्रता

यू0पी0 टी0ई0टी0 में शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैंः–

6.1. कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हताः–

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **स्नातक परीक्षा** उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से **दो वर्षीय डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0)** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **स्नातक परीक्षा** उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित व स्नातक **शिक्षामित्रों का द्विवर्षीय बी0टी0सी0** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण** तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से **शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.)**/भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से **शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा)** में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक** और एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था से **शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एड0)** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक** तथा **शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एड0)** जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **स्नातक** तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त **विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **स्नातक** तथा उत्तर प्रदेश में संचालित **दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **स्नातक** तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से **डिप्लोमा इन टीचिंग** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **स्नातक** तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से **दिनांक 11.08.1997 के पूर्व के मोअल्लिम–ए– उर्दू उपाधि धारक** (उर्दू शिक्षक हेतु)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ **इण्टरमीडिएट** अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में **स्नातक (बी0एल0एड0)** के अंतिम वर्ष शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

6.2. कक्षा 6 से 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (U.P.TET) में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता:–

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से **दो वर्षीय डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0)** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम **50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक** और एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था से **शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एड0)** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम **45 प्रतिशत अंकों के**

साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा **शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एड0)** जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से **न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक** और एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से **शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा)** के **बी0एड0 विशेष शिक्षा** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम **50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट** अथवा इसके समकक्ष एवं एन.सी.टी.ई./यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त संस्था से **चार वर्षीय बी.ए. एड/बी.ए.बीएड.** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम **50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट** अथवा इसके समकक्ष एवं एन.सी.टी.ई./यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त संस्था से **चार वर्षीय बी.एस.सी.एड./बी.एस.सी.बीएड.** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम **50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट** अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक **(बी0एल0एड0)** के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से कम से कम **50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक** और भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त **एक वर्षीय बी0एड0 (विशेष शिक्षा)** में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

6.3. टिप्पणी:–

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों के छूट की अनुमति होगी।

(ii) इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी0एड0 (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।

(iii) एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी0एड0) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।

(iv) डी0एड0 (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(v) ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान/गणित, विज्ञान इत्यादि के शिक्षकों के लिए लागू है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 विनियम दिनांक 03.11.2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान एवं कार्य शिक्षा इत्यादि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेगे जब तक एन.सी.टी.ई. ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित नही करती है।

(vi) ऐसा अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री (बी0एड0)अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी0एल0एड0) के अन्तिम वर्ष में शामिल हो रहें हैं को अनन्तिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा और उनका यू0पी0टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।

(vii) ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नही होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नही होगा।

7. यू0पी0टी0ई0टी0 की संरचना व विषय वस्तु:-

7.1 यू0पी0टी0ई0टी0 में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नही होगा। यूपीटीईटी के दो पेपर होंगे।

(i) प्रथम प्रश्न पत्र (Paper-Ist) ऐसे व्यक्ति के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। (प्राथमिक स्तर)

(ii) द्वितीय प्रश्न पत्र (Paper-IInd) ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। (उच्च प्राथमिक स्तर)

(iii) ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर (कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक) के लिए शिक्षक बनना चाहता है, को दोनो पेपरों (Paper-I and Paper-II) में शामिल होना होगा।

7.2 प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 के लिए):-

(i) परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टे अर्थात् 150 मिनट होगी।

(ii) संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि	30 MCQs	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी)	30 MCQs	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक)	30 MCQs	30
4.	गणित	30 MCQs	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन	30 MCQs	30
	कुल	**150 MCQs**	**150 अंक**

(iii) **प्रश्नों की प्रकृति और स्तर**

(क) बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रांसगिक अधिगम एवं अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होंगे, तथा वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ आपस में परस्पर अन्तर्क्रिया तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केन्द्रित होंगे।

(ख) भाषा- I में प्रश्न अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगे।

(ग) भाषा- II, भाषा- I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा- II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्प्रेषण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगे।

(घ) गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण-विधियों की समझ पर केन्द्रित होंगे। इन विषय क्षेत्रों में प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित उस विषय के पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित की जायेगी।

(ड़) पेपर I के लिये परीक्षा में प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे, किन्तु उनका कठिनाई स्तर और संयोजन इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।

7.3 द्वितीय प्रश्न पत्र उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक के लिए)

(i) परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे अर्थात् कुल 150 मिनट होगी।

(ii) संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र0सं0	विषय सूची	प्रश्नों की सं0	अंक
1.	बाल विकास और शिक्षण विधि *(अनिवार्य)*	30MCQs	30
2.	भाषा I (हिन्दी) *(अनिवार्य)*	30 MCQs	30
3.	भाषा II (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक) *(अनिवार्य)*	30 MCQs	30
4.	(क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित/विज्ञान (ख) सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन (ग) अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी	60 MCQs	60
	कुल	150 MCQs	150

(iii) प्रश्नों की प्रकृति और स्तर

(1) बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 11 से 14 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम और अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होंगे, तथा वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ परस्पर अन्तर्क्रिया करने तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केन्द्रित होंगे।

(2) भाषा I में प्रश्न, अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगे।

(3) भाषा II, भाषा I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्प्रेषण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगे।

(4) गणित और विज्ञान/सामाजिक अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण विधियों की समझ पर केन्द्रित होंगे। गणित और विज्ञान में 30–30 प्रश्न 01–01 अंक के होंगे। प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए निर्धारित उन विषयों के पाठ्यक्रम के भिन्न–भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित किये जायेंगे।

(5) प्रश्न पत्र II के लिए परीक्षा में प्रश्न कक्षा 6 से 8 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे किन्तु उनका कठिनाई स्तर व संयोजन इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।

7.4. उपर्युक्त संरचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम "**परिशिष्ट–I**" मे दिये गये हैं।

8. प्रश्न पत्र की भाषा – प्रश्न पत्र का माध्यम "हिन्दी" अथवा "अंग्रेजी" होगा।

9. अर्हक अंक –

9.1 UP-TET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

9.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक स्वयं/विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।

9.3 UP-TET में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।

9.4 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन सं0 भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज/भाषा विकल्प/पार्ट–IV (विज्ञान/गणित या सामाजिक विज्ञान) के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें ।

9.5 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के कॉलम में काले किये गये गोले के आधार पर ही अभ्यर्थी के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जायेगा। परीक्षा के उपरान्त प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकन से सम्बन्धित प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय उपलब्ध करायी गयी प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों को अनुसरण करें ।

10. **अनुप्रयोज्यता (Applicabilty) –** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदित शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अथवा अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे :–

10.1 प्राथमिक स्तर –

(i) ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।

(ii) स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी हो।

(iii) जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो।

(iv) ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तथा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

10.2 उच्च प्राथमिक स्तर –

(i) ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।

(ii) स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संचालन हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की गयी हो।

(iii) जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो।

(iv) ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा किसी भी राष्ट्रीय बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो।

11. यू0पी0टी0ई0टी0 प्रमाण–पत्र का वितरण, वैधता अवधि व अन्य–

11.1 नियुक्ति के लिए यूपीटीईटी अर्हक प्रमाण–पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए इसके परिणाम की घोषणा की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि तक होगी।

11.2 उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वितरित किया जायेगा।

11.3 अर्ह अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रति/प्रवेश पत्र/इंटरनेट से प्राप्त परीक्षाफल की प्रति के साथ भरी गयी प्रविष्टियों से सम्बन्धित मूल अभिलेख यथा शैक्षिक अभिलेख, जाति प्रमाण–पत्र, विशेष आरक्षण पत्र, फोटो पहचान पत्र आदि सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, का उत्तरदायित्व होगा कि अर्ह अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखो की जॉच करते हुए अर्हता मानक से संतुष्ट होने पर, अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

11.4 प्रमाण पत्र के नष्ट होने/खो जाने अथवा प्रमाणपत्र में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम अथवा माता के नाम में वर्तनी की त्रुटि होने पर प्रमाण पत्र में संशोधन/द्वितीय प्रति निर्गत की जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट जो 'सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, 23 एलनगंज प्रयागराज में देय हो, के द्वारा 500.00 रू0 का भुगतान करके प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।

11.5 द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु (खो जाने/नष्ट हो जाने/संशोधन हेतु) अभ्यर्थी को संगत अभिलेखों के साथ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा, को संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र सहित, सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 के माध्यम से अग्रसारित कराते हुए, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 प्रयागराज में प्रस्तुत करना होगा।

11.6 प्रमाण पत्र के नष्ट होने/खो जाने अथवा प्रमाणपत्र में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम अथवा माता के नाम में यदि कोई गलत प्रविष्टि किसी अविचारित असावधानी व वर्तनी त्रुटि हो तो प्रमाण पत्र में संशोधन/द्वितीय प्रति निर्गत की जायेगी।

11.7 उक्त शुद्धि सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 द्वारा उसी स्थिति में की जा सकेगी, जबकि अभ्यर्थी ने सम्बन्धित परीक्षा के प्रमाण पत्र को परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्गमन की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही ऑनलाइन आवेदन में वर्तनी त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को त्रुटि के संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो और उसकी प्रति पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र प्रयागराज को भी प्रेषित की हो।

11.8 प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के फोटो, वर्ग (जाति) एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा, अतः इसे सावधानी पूर्वक भरें।

11.9 प्रमाण पत्र खो जाने/ नष्ट हो जाने/संशोधन हेतु द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित पत्रजात प्रस्तुत करना होगा –

(i) हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। (जन्मतिथि के लिए)
(ii) प्रशिक्षण में शामिल प्रमाण पत्र/अन्तिम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र/ टी0ई0टी0 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
(iii) जाति प्रमाण पत्र।
(iv) विकलांगता प्रमाण पत्र। (लागू होने पर)
(v) प्रमाण पत्र खोने की समाचार पत्र में विज्ञप्ति। (मूल रूप में)
(vi) उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र खोने की एफ0आई0आर0 की कापी।
(vii) रू0 10 का नोटरी हलफनामा/शपथ-पत्र।
(viii) फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की छाया प्रति।

11.10 संशोधित प्रमाण पत्र/द्वितीय प्रमाण पत्र, प्रत्यावेदन जमा करने के अधिकतम दो माह के अन्दर, प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा निर्गत की जाएगी। इसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित किया जायेगा। अभ्यर्थी संशोधित /द्वितीय प्रमाण पत्र की प्रति सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर सकेंगे।

12. **<u>प्रवेश पत्र का प्रेषण</u>:–**

अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से लगभग 10 दिन पूर्व परीक्षा संस्था की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जायेंगे, जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड करेंगे। इस डाउन लोडेड प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा में

सम्मिलित हो सकेंगे। अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नही भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र से इतर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की अनुमति नही दी जायेगी।

13. परीक्षा का आयोजन

13.1 परीक्षा केन्द्र का निर्धारण –

(i) **"शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" (UP-TET)** प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं देखरेख में जनपद स्तर पर आयोजित कराई जायेगी। जनपद स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु निम्नवत् **समिति पूर्णतः सक्षम एवं उत्तरदायी होगी। इस हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगाः–**

(क)	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ख)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(ग)	प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
(घ)	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य सचिव
(च)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्देशन में जनपद स्तर पर केन्द्र का निर्धारण कर परीक्षा शुचितापूर्वक सम्पन्न करायी जायेगी।

(ii) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को औचित्य सिद्ध होने पर परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा। जनपद मुख्यालय पर स्थित अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त तथा अच्छी ख्याति के माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा आयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा। परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण यथासम्भव शहरी क्षेत्र में कराया जायेगा, जिससे सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके।

(iii) परीक्षा केन्द्र ऐसे इण्टर कालेज/डिग्री कालेज को बनाया जायेगा जो अच्छी ख्याति के हों और जिनमें पर्याप्त संस्थागत सुविधायें यथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे, बड़े हवादार कक्षा कक्ष, पर्याप्त फर्नीचर, पंखे, पीने के पानी तथा शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध हों। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा संचालन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र का प्राचार्य/प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेगा। समिति द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु न्यूनतम 500 अभ्यर्थी आवंटित किये जायेंगे।

(iv) परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के साथ–साथ, कक्ष निरीक्षक, तथा अन्य किसी भी कर्मचारी को मोबाइल, नोटबुक या अन्य कोई यांत्रिक एवं इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है, पाये जाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परीक्षा केन्द्र पर केन्द्रव्यवस्थापक, नामित पर्यवेक्षक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट को भी कैमरा युक्त मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन ले जाने की अनुमति नहीं हैं। केन्द्रव्यवस्थापक, पर्यवेक्षक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ ऐसा मोबाइल फोन ले जा सकते हैं जो सामान्य कीपैड वाला, कैमरा रहित फोन हो और स्मार्ट फोन की श्रेणी में न आता हो।

(v) आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा प्रत्येक जनपद के आवेदकों की संख्या सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक/सचिव, केन्द्र निर्धारण समिति को संसूचित की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक सप्ताह के अन्दर उक्त संख्या के आधार पर जनपद में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों में) समिति के अनुमोदनोपरांत सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

13.2— परीक्षा के पूर्व केन्द्र व्यवस्थापकों तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारियों की बैठक :—

(i) जिलाधिकारी परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी केन्द्र व्यवस्थापकों की संयुक्त बैठक करेंगे जिनमें परीक्षा केन्द्रों की सुचारू व्यवस्था तथा वहां उपलब्ध संस्थागत सुविधाओं तथा परीक्षा में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की रणनीति तैयार की जायेगी। जनपद में परीक्षा नकलविहीन तथा शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का दायित्व भी जिलाधिकारी का होगा।

(ii) उक्त परीक्षा अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मण्डलायुक्त का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने मण्डल के समस्त जनपदों में उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं शुचिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे। मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अपने मण्डल के समस्त जनपदों की सूचना मण्डलायुक्त को देंगे। मण्डलायुक्त द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने पर रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन को प्रेषित की जायेगी।

14. प्रश्नपत्रों का प्रेषण तथा उनका रख—रखाव :—

14.1. सभी जनपद मुख्यालयों पर परीक्षा तिथि से तीन दिन पूर्व आवश्यक प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकायें जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त रूप से प्राप्त करा दी जायेगी सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नपत्र कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाय।

14.2 प्रश्नपत्रों को परीक्षा वाले दिन डबल लॉक से प्राप्त कर उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर समय से पूर्व सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।

14.3 प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक पाली के लिए अलग—अलग स्टेटिक मजिस्ट्रेट को लगाया जाय जो कोषागार के डबल लॉक से प्रश्न पत्र लेकर परीक्षा केन्द्र में लेकर जाएं और अपने समक्ष दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित समय पर केन्द्रव्यस्थापक, दो कक्ष निरीक्षकों तथा पर्यवेक्षक के सामने खुलवाएं तथा अपनी उपस्थिति में ही प्रश्नपत्रों को वितरित करायें। प्रश्न पत्र खोले जाने के समय का वीडियो रिकार्डिंग कराया जाना अनिवार्य है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर लिये जायेंगे। लगाये गये मजिस्ट्रेट्स अपनी देख—रेख में शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा को सम्पादित करायेंगे परीक्षा सम्पन्न हो जाने के उपरांत सदस्य सचिव (जिला विद्यालय निरीक्षक) द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जायेगी।

14.4 परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों के SCAN किये हुए फोटोयुक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराये जायेंगे। उपस्थिति पत्रक में ओ0एम0आर0 फार्म का क्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका सीरीज अंकित किया जायेगा एवं आवेदक के हस्ताक्षर के साथ—साथ अंगूठा निशान भी यथा स्थान लिया जायेगा।

14.5 परीक्षा समाप्त होने के बाद केन्द्र व्यवस्थापक अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रयुक्त ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका के अन्दर सील्ड करके उपलब्ध करायेंगे। अनुपस्थिति विवरण तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिसमें से एक प्रति केन्द्र व्यवस्थापक अपने पास सुरक्षित रखेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के समय मूल्यांकन एजेन्सी को अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे किसी त्रुटि की सम्भावना न रहे।

14.6 अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0शीट को रिक्त (Blank) छोड़े जाने की सम्भावना बनी रहती है, अतः ओ0एम0आर0 शीट में अंत में निर्दिष्ट स्थान पर हल किये गये प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंकों में अभ्यर्थी द्वारा अंकित की जायेगी।

15. परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया और ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का प्रयोग :—

15.1. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन

कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट) की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा –

(i) प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति

(ii) सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार/सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति

जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश–पत्र, फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.2 अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष के भीतर प्रवेश–पत्र तथा काले/नीले बॉल प्वांइट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य–सामग्री, कैलकुलेटर, डॉकुपेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त में से कोई भी सामान पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को 'अनुचित तरीके' के रूप में माना जाएगा और उसकी विद्यमान परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा (परीक्षाओं) के लिए भी वर्जित कर दिया जाएगा और वह सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।

15.3 परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया और प्रश्न–पुस्तिका तथा उत्तरपुस्तिका के प्रयोग के लिए अनुदेश परिशिष्ट – II में दिए गए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए जाने से पहले इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है।

16. <u>परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण :–</u>

16.1 परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरान्त, परीक्षा के दिन ही परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की मूल व कार्बन प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ अलग–अलग भलीभांति सुरक्षित रूप से सील्ड कराकर कोषागार के डबल लॉक में पहुँचाने तथा तद्दिनांक को ही कोषागार के डबल लॉक से उत्तर पत्रकों के सील्ड बंडल को सुरक्षित रूप से निर्देशपुस्तिका में दिये गये निर्देशानुसार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय में परीक्षा दिवस के अगले दिवस तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।

16.2 उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित पहुँचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा पर्याप्त पुलिस स्कोर्ट की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा उत्तर पत्रक को गंतव्य तक पहुंचाने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

16.3 उत्तर पत्रक (OMR) तीन प्रतियों में होगा, जिसमें प्रथम प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ मूल्यांकन केन्द्र हेतु सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म के लिए सफेद रंग के कपड़े में सील्ड किया जायेगा। द्वितीय प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज हेतु लाल रंग के कपड़ें में सील्ड किया जायेगा तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे। समस्त उत्तर पत्रकों (उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बंडल) को परीक्षा समाप्त होने पर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय में प्राप्त कराया जायेगा।

17. <u>परीक्षा केन्द्रों पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था :–</u>

17.1 प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक को परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु तथा प्रश्नपत्र के रख–रखाव, सचल दल तथा पर्यवेक्षण आदि हेतु रू0 30,000.00 की आकस्मिक धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस धनराशि में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक व कोषाधिकारी के लिए रू0 2000.00 प्रत्येक का मानदेय

सम्मिलित है । इस धनराशि से परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य कार्मिकों एवं डबल लॉक में कोषागार कर्मियों तथा कार्यालय कर्मियों को भी मानदेय दिया जायेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 750.00 रूपये तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 500.00 रूपये मानदेय देय होगा।

17.2 परीक्षा केन्द्र हेतु व्ययादि की व्यवस्थाः– परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा संचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार आकस्मिक व्यय हेतु धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा उनके द्वारा सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापकों को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि में परीक्षा कार्यों से जुड़े कर्मियों का मानदेय सम्मिलित नहीं है।

(i)	500 अभ्यर्थी	रू0 10,000/–
(ii)	501–700 अभ्यर्थी	रू0 14,000/–
(iii)	701–1000 अभ्यर्थी	रू0 20,000/–

उपरोक्त आकस्मिक धनराशि से परीक्षा सम्बन्धी समस्त व्यय हेतु भुगतान नियमानुसार मितव्ययिता के साथ किया जाएगा। केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा समाप्त होने के दूसरे दिन प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

17.3 यदि किन्हीं परिस्थितियों में परीक्षा संचालन में अतिरिक्त व्यय हो जाता है, तो सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ऐसी सभी युक्ति संगत माँगों को संकलित करके संस्तुति सहित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को संदर्भित किया जाएगा।

17.4 मानदेय :– परीक्षा कार्य से जुड़े कार्मिकों हेतु मानदेय देय होगा। उक्त हेतु धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा उनके द्वारा सम्बन्धित केन्द्रों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(i)	जिलाधिकारी	–	रू0 3000 प्रति पाली
(ii)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	रू0 2500 प्रति पाली
(iii)	स्टेटिक मजिस्ट्रेट	–	रू0 2000 प्रति पाली
(iv)	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	रू0 2000 प्रति पाली
(v)	सचल दल प्रभारी	–	रू0 2000 प्रति पाली
(vi)	कोषाधिकारी	–	रू0 2000 प्रति पाली
(vii)	केन्द्र व्यवस्थापक	–	रू0 2000 प्रति पाली
(viii)	कक्ष निरीक्षक (आवश्यकतानुसार)	–	रू0 750/–(प्रति कक्ष निरीक्षक/प्रति पाली)
(ix)	पर्यवेक्षक (02) (जिलाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन का एक–एक प्रतिनिधि)	–	रू0 2000/–(प्रति पर्यवेक्षक/प्रति पाली)
(x)	डबल लॉक के कोषागार कर्मियों (02 तृतीय श्रेणी एवं 02 चतुर्थ श्रेणी)	–	रू0 750 तृतीय श्रेणी (प्रति सदस्य/प्रति पाली) रू0 500 चतुर्थ श्रेणी (प्रति सदस्य/प्रति पाली)
(xi)	सचल दल (3–5 सदस्य प्रति दल)	–	रू0 750/– (प्रति सदस्य/प्रति पाली)
(xii)	प्रश्न पत्र कोषागार से लेकर परीक्षा केन्द्र पर पहुँचाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को भुगतान	–	रू0 2000/– प्रभारी, 01 तृतीय श्रेणी– रू0 750 02 चतुर्थ श्रेणी – रू0 500 रू0 (प्रति सदस्य/प्रति पाली)
(xiii)	प्रश्नपत्र निर्माण के लिए मानदेय	–	रू0 60/– (प्रति प्रश्न)
(xiv)	प्रश्न पत्रों के माडरेशन के लिए मानदेय	–	रू0 80/– (प्रति प्रश्न)

(xv) परीक्षा के बाद उत्तरमाला के प्रति प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण के लिए मानदेय– 2000 रू0 प्रति सदस्य एक मुश्त होगा।

(xvi) **सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के कर्मियों को परीक्षा में लगाये जाने हेतु मानदेयः–**

(i) अधिकारियों को 2000 रू0 प्रतिदिन अधिकतम परीक्षा से तीन दिन पूर्व एवं तीन दिन बाद।

(ii) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय 750 रू0 प्रतिदिन परीक्षा से तीन दिन पूर्व व तीन दिन बाद।

(iii) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय 500 रू0 प्रतिदिन परीक्षा से तीन दिन पूर्व व तीन दिन बाद।

(iv) उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पादित कराये जाने हेतु परीक्षा से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय के सम्बन्धित सहायकों/तकनीकी कर्मियों को परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति की तिथि से परीक्षाफल घोषित होने की तिथि तक उक्त निर्धारित दर के अनुसार अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा।

(v) उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा सम्पादित कराये जाने के उपरान्त परीक्षाफल तैयार कराये जाने हेतु ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रकों की स्कैनिग से सम्बन्धित गोपनीय कार्य में लगाये गये सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को स्कैनिग की अवधि का अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा।

(xii) उपरोक्त बिन्दु संख्या (xvii) के उपबिन्दु (i से v तक) के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय एक ही लाभ देय होगा एवं संलग्न अधिकारियों/तृतीय श्रेणी/तकनीकी कर्मी/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मानदेय धनराशि की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी –

अधिकारी	–	रू0 60,000.00
तृतीय श्रेणी/तकनीकी कर्मी	–	रू0 40,000.00
चतुर्थ श्रेणी	–	रू0 20,000.00

17.5 केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा से 07 दिन पूर्व एक अनुमानित आगणन के अनुसार मानदेय की धनराशि की माँग जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक परीक्षा से 03 दिन पूर्व यह धनराशि केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध करायेंगें। परीक्षा के दिवस ही यथा सम्भव मानदेय की धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

18. <u>UPTET के लिए परीक्षा शुल्क :–</u>

वर्ग	केवल पेपर I या II	दोनो पेपर I व II
सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	रू0 600/–	रू0 1200/–
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रू0 400/–	रू0 800/–
विकलांग श्रेणी	रू0 100/–	रू0 200/–

18.1 जो अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्र, पेपर प्रथम (कक्षा–1 से 5 की शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु) पेपर द्वितीय (कक्षा– 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु) में परीक्षा देना चाहते हो, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनो प्रश्न पत्रों के परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। परन्तु अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न पत्र/परीक्षा की दर से निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा।

18.2 शासनादेश सं0 726/अरसठ–4–2019–2750/2012 बेसिक शिक्षा अनुभाग–4, दिनांक 03.10.2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 एवं आगामी परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन शुल्क आदि समस्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक, त्रिवेणी शाखा, प्रयागराज में खोले गये करेन्ट एकाउंट नं0 33291667691 में जमा किये जाएंगे।

18.3 आवेदन शुल्क का उपयोग परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिए वित्तीय नियमो के अनुसार किया जायेगा इसके लिए परीक्षा संस्था द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के विभिन्न मदो में होने वाले सम्भावित व्यय हेतु बजट अनुमान तैयार कर शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा तथा शासन के अनुमोदनोपरान्त अनुमोदित धनराशि की सीमा में परीक्षा शुल्क से प्राप्त धनराशि से व्यय वित्तीय नियमो के अनुसार किया जायेगा अवशेष धनराशि कोषागार में राज्य सरकार के खाते में जमा की जायेगी। समस्त आय–व्यय का आडिट कराया जायेगा।

18.4 ऑन लाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश परिशिष्ट – III में दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

18.5 अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर, ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर ले।

18.6 अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि – **"मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गयी प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मै अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ, फाइनल सेव होने के उपरान्त मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर देय नहीं होगा।"**

उक्त घोषणा पत्र को चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गये OTP को Verify करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने सही मोबाइल नं0 का अंकन करें।

18.7 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण फाइनल सेव करने के उपरान्त किसी ब्यौरे में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी कारण से पुष्टिकरण पृष्ठ में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए किसी त्रुटिपूर्ण ब्यौरे से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए परीक्षा संस्था उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरा गया संशोधित विवरण ही अन्तिम होगा और भविष्य में ऑनलाइन कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

18.8 आवेदन शुल्क के भुगतान के बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

18.9 अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अभ्यर्थी किसी एक स्तर की परीक्षा हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन न करें। अभ्यर्थी द्वारा किसी एक स्तर की परीक्षा हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किये जाने की स्थिति में आवेदन शुल्क जमा किये गये अंतिम ऑनलाइन आवेदन को मान्य करते हुए अन्य आवेदन निरस्त कर दिये जायेगें, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

18.10 एक बार शुल्क का भुगतान करने पर उसे किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस अथवा भविष्य की परीक्षा में समायोजित नहीं किया जाएगा।

18.11 सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा परीक्षा तिथि के उपरान्त परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्न पुस्तिकाओं के समस्त सीरीज की उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों से प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थियो को प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराये जाने हेतु प्रति प्रश्न रू0 500 का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्ति सही पाये जाने पर, अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गयी धनराशि परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थी को वापस (Refund) कर दी जाएगी। तथा दर्ज करायी गयी आपत्ति सही नही पाये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस (Refund) नही किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करने से पूर्व भली–भॉति सुनिश्चित हो लें।

18.12 आपत्ति दर्ज कराये जाने हेतु निर्धारित समयावधि के भीतर अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त अभिमत के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन् करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरान्त, प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएगें।

19. यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है, इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए

और यदि वह दिए गए योग्यता मापदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो वे आवेदन न करें और फिर भी आवेदन करते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

20. भ्रामक, गलत अथवा असत्य सूचना देने पर परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा, प्रमाण–पत्र जब्त कर लिया जाएगा और उपयुक्त मामलों में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

21. मशीन के माध्यम से स्कैनिंग की जाने वाली उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अत्यंत सावधानी बरती जाती है व इनकी बारंबार संवीक्षा की जाती है। ओएमआर उत्तर पत्रक की पुनः जांच, पुनः आंकलन, पुनः मूल्यांकन अथवा संवीक्षा के लिए निवेदन व इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22. विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश लागू हैं:– पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind) एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक की सुविधा दी जा सकती है, जो लिखने में अथवा गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो। किन्तु श्रुत लेखक को अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लायेगा।

परीक्षा केन्द्र पर, श्रुत लेखक को परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने में कोई कठिनाई न हो इसके लिए अनिवार्य है कि, परीक्षार्थी श्रुत लेखक को परीक्षा में अपने साथ ला रहा है, इस आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केन्द्र के केन्द्रव्यवस्थापक को प्रस्तुत कर श्रुत लेखक को बैठाए जाने की अनुमति प्राप्त कर ले। परीक्षार्थी को उक्त आशय के प्रत्यावेदन के साथ पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind) होने/लिखने व गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ होने सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र, परीक्षार्थी का फोटो पहचान पत्र, श्रुत लेखक के शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र, एवं श्रुत लेखक का फोटो पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

22.1 श्रुत लेखक की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् जिस वर्ष की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही हो, श्रुत लेखक उसी वर्ष की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाला अथवा उसी वर्ष इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो चुका हो, ऐसा अभ्यर्थी ही श्रुत लेखक के रूप में मान्य किया जाएगा।

उदाहरण – यदि उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 की है, तो श्रुत लेखक वर्ष 2020 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाला अथवा वर्ष 2019 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी होना चाहिए।

22.2 विकलांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशत के विकलांग होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें विकलांग अभ्यर्थी के रूप में विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा। **परन्तु परीक्षा में श्रुत लेखक साथ लाने व परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किये जाने का लाभ केवल उन्ही परीक्षार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind)/लिखने व गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो।**

22.3 पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थी जो लिखने अथवा गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो, को ही परीक्षा अवधि में 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। परीक्षा अवधि में 30 मिनट के अतिरिक्त समय की मांग हेतु, परीक्षार्थी को परीक्षा तिथि के पूर्व ही परीक्षा केन्द्र के केन्द्रव्यस्थापक को इस आशय का प्रत्यावेदन समस्त सुसंगत अभिलेखो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22.4 दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को भ्रम की स्थिति से बचने के लिए परीक्षा से पूर्व विशेषतः भूतल पर उचित बैठने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ।

22.5 प्रश्न पत्र देने का सही समय चिन्हित किया जाना चाहिए और नेत्रहीन उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए ।

23. परीक्षा के आयोजन हेतु अन्य व्यवस्थायें:–

23.1 परीक्षा हेतु एक ऑफीशियल वेबसाइट का निर्माण एवं उसका संचालन एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से परीक्षा संस्था की देख–रेख तथा निर्देशन में किया जायेगा।

23.2 आवेदन की प्रक्रिया की विशिष्टताओं आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित सूचनाओं एवं समस्त संसाधनों की सुलभता सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा एन0आई0सी0, लखनऊ को करायी जायेगी, जिससे ऑन-लाइन आवेदन हेतु उत्तम एवं प्रभावी सॉफ्टवेयर को विकसित कराया जा सके। संसाधनों पर व्यय होने वाली धनराशि एवं एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये Project Cost Estimate का भुगतान भी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के मद से किया जाएगा।

23.3 शासनादेश सं0 726/अरसठ-4-2019-2750/2012 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, दिनांक 03.10.2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परीक्षा हेतु भारतीय स्टेट बैंक, त्रिवेणी शाखा, प्रयागराज में खोले गये करेन्ट एकाउंट नं0 33291667691 का संचालन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा किया जायेगा।

23.4 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा संस्था द्वारा एकीकृत रूप से प्रदेश के बहुप्रसारित कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू के समाचार पत्रों के समस्त संस्कारणों मे विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

23.5 ऑन लाइन आवेदन पत्र पूरित करने हेतु आवेदन पत्र का नमूना प्रारूप एवं निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन पूरित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिस जनपद से आवेदन पत्र पूरित कर परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, उस जनपद के नाम एवं कोड का अंकन आवेदन पत्र में निर्देशानुसार अंकित करना होगा। जनपद के नाम व उसके कोड का विवरण परिशिष्ट IV में दिया गया है।

23.6 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र पूरित करने के पूर्व भारतीय स्टेट बैंक के नवीनतम तकनीक के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश **UPTET** हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क (धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद/इंटरनेट बैकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) जमा किये जाने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का पेमेंट लिंक, एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर/विभाग द्वारा आवेदन हेतु निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

23.7 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के समय, आवेदन शुल्क जमा करने में आने वाली ट्राजेक्शन सम्बन्धित कठिनाईयों का निराकरण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाएगा। इस हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक हेल्पलाइन दूरभाष नं0 एवं हेल्पलाइन ई-मेल आईडी उपलब्ध करायी जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये हेल्पलाइन नं/ई-मेल आईडी, ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

23.8 यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, तो उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनो प्रश्न पत्रों के परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। परन्तु अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न पत्र/परीक्षा की दर से निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा।

23.9 ऑन लाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।

24. **<u>छंटाई के नियम</u> :-** ओएमआर उत्तर-पुस्तिका सहित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभिलेख परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखे जायेंगें। तद्पश्चात् उसे सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा बीड आउट कर दिया जायेगा।

25. **<u>परीक्षा फलः-</u>**

25.1 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा चयनित कम्प्यूटर फर्म द्वारा कराया जायेगा तथा जो अभ्यर्थी सफल घोषित होंगे उनके अनुक्रमांक से सम्बन्धित उत्तर पत्रक (OMR) के मूल्यांकन की क्रास चेकिंग करने के पश्चात् सचिव परीक्षा नियामक

प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परिणाम घोषित किया जायेगा।

25.2 उत्तर पुस्तिकाओं की सावधानीपूर्वक जांच के उपरान्त **"परीक्षा संस्था"** द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त नियत अवधि के अन्दर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से परीक्षाफल के घोषित होने की सूचना दी जायेगी।

26. अभ्यर्थी यू.पी.टीईटी की अपनी ओएमआर शीट/उत्तर कुंजी की स्कैन्ड कॉपी परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर रु0 1000/– प्रति के शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट देकर प्राप्त कर सकता है। डिमांड ड्राफ्ट सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित और प्रयागराज में देय हो।

27. कानूनी अधिकार क्षेत्र यूपीटीईटी के आयोजन से संबंधित सभी विवाद केवल माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे।

28. **परीक्षा की समय सारिणी –**

उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत/अनुमोदित तिथिवार परीक्षा कार्यक्रम (समय–सारिणी) के अनुसार कराया जायेगा।

परिशिष्ट–I

(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 7.4 का संलग्नक)
यूपीटीईटी पाठ्यक्रम की संरचना और विषय–सूची
(पेपर I और पेपर II)

पेपर I (कक्षा I से V के लिए) प्राथमिक स्तरः–

I. बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ — 30 प्रश्न

क) विषय–वस्तु

बाल विकास :–

- बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र,बाल विकास की अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास ,संवेगात्मक विकास,भाषा विकास– अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास।
- बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक–वंशानुक्रम, वातावरण। (पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयीय, संचार माध्यम)

सीखने का अर्थ तथा सिद्धान्त :–

- अधिगम (सीखने) का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक,अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ।
- अधिगम के नियम– थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व।
- अधिगम के प्रमुख सिद्धान्त तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धान्त,पैवलव का सम्बद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धान्त,स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धान्त,कोहलर का सूझ या अन्तर्दृष्टि का सिद्धान्त,प्याजे का सिद्धान्त,व्योगास्की का सिद्धान्त सीखने का वक्र– अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण।

शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ

- शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, सम्प्रेषण, शिक्षण के सिद्धान्त, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ (उपागम), सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल।

समावेशी शिक्षा—निर्देशन एवं परामर्श

- शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथाः अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता (दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक्/अस्थिबाधित), मानसिक दक्षता।
- समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टी0एल0एम0 एवं अभिवृत्तियाँ।
- समावेशित बच्चों का अधिगम जाँचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी।
- समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ। यथा—ब्रेललिपि आदि।
- समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श— अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र
- परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग/संस्थायें :—
  - ➢ मनोविज्ञानशाला उ0प्र0, प्रयागराज
  - ➢ मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र (मण्डल स्तर पर)
  - ➢ जिला चिकित्सालय
  - ➢ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षत डायट मेण्टर
  - ➢ पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तन्त्र
  - ➢ समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ
  - ➢ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन
- बाल—अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व

ख) अधिगम और अध्यापन :—

- बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं; बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों 'असफल' होते हैं।
- अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं; बालकों की अधिगम कार्यनीतियां: सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम:, अधिगम के सामाजिक संदर्भ।
- एक समस्या समाधानकर्ता और एक 'वैज्ञानिक अन्वेषक' के रूप में बालक।
- बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना;अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की 'त्रुटियों' को समझना।
- बोध और संवेदनाएं ।
- प्रेरणा और अधिगम ।
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक – निजी एवं पर्यावरणीय।

II. <u>भाषा – I</u>

क) हिन्दी (विषय वस्तु) :— **30 प्रश्न**

- अपठित अनुछेद।
- हिन्दी वर्णमाला। (स्वर, व्यंजन)
- वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान।
- वाक्य रचना।
- हिन्दी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से—ष, स, श, ब, व, ढ, ड, ङ, क्ष, छ, ण तथा न की ध्वनियाँ।

- हिन्दी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चन्द्रबिन्दु में अन्तर।
- संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द।
- सभी प्रकार की मात्राएँ।
- विराम चिह्नों यथा–अल्प विराम, अर्द्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, चिह्नों का प्रयोग।
- विलोम, समानार्थी, तुकान्त, अतुकान्त, समान ध्वनियों वाले शब्द।
- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद।
- वचन, लिंग एवं काल।
- प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, व देशज़, शब्दों की पहचान एवं उनमें अन्तर।
- लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ।
- सन्धि – (1) स्वर सन्धि– दीर्घ सन्धि, गुण सन्धि, वृद्धि सन्धि, यण् सन्धि, अयादि सन्धि।
  (2) व्यंजन सन्धि।
  (3) विसर्ग सन्धि।
- वाच्य, समास एवं अंलकार के भेद।
- कवियों एवं लेखकों की रचनाएँ।

ख) भाषा विकास का अध्यापन :–

- अधिगम और अर्जन ।
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत ।
- सुनने और बोलने की भूमिकाः भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं ।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श ।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियां और विकार ।
- भाषा कौशल ।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना : बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ।
- अध्यापन – अधिगम सामग्रियां : पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन ।
- उपचारात्मक अध्यापन ।

III. भाषा – II **30 प्रश्न**

ENGLISH

क) विषय–वस्तु : –

- Unseen Passage
- The Sentence
  (A) Subject And Predicate
  (B) Kinds of Sentences
- Parts of Speech
  Kinds of Noun
  Pronoun
  Adverb
  Adjective
  Verb

Preposition
Conjunction
- Tenses - Present, Past, Future
- Articles
- Punctuation
- Word Formation
- Active & Passive Voice
- Singular & Plural
- Gender

IV. भाषा – II **30 प्रश्न**

उर्दू

क) विषय–वस्तु

- अपठित अनुच्छेद।
- ज़बान की फन्नी महारतों की मालूमात।
- मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालाते जिन्दगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी।
- मुखतलिफ असनाफे अदब जैसे, मज़मून, अफसाना मर्सिया, मसनवी दास्तान वगैरह की तारीफ मअ, अमसाल।
- सही इमला एवं तलफ्फुज की मश्क़।
- इस्म, जमीर, सिफत, मुतज़ाद अल्फ़ाज, वाहिद, जमा, मोजक्कर, मोअन्नस वगैरह की जानकारी।
- सनअते, (तशबीह व इस्तआरा, तलमीह, मराअतुन्नजीर) वगैरह।
- मुहावरें, जर्बुल अमसाल की मालूमात।
- मखतलिफ समाजी मसायल जैसे माहौलियाती आलूदगी जिन्सी नाबराबरी, नाख्वान्दगी, तालीम बराएअम्न, अदमे, तग़जिया, वगैरह की मालूमात।
- नज़्मो, कहानियों, हिकायतों एवं संस्मरणों में मौजूद समाजी एवं एखलाकी अक़दार को समझना।

V. भाषा – II **30 प्रश्न**

संस्कृत

क) विषय–वस्तु :–

अपठित अनुच्छेद
संज्ञाएँ–
- अकारान्त पुल्लिंग।
- आकारान्त स्त्रीलिंग।
- अकारान्त नपुंसकलिंग।
- ईकारान्त स्त्रीलिंग।
- उकारान्त पुल्लिंग।
- ऋकारान्त पुल्लिंग।
- ऋकारान्त स्त्रीलिंग।
- घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षियों, घरेलू, उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय ।
- सर्वनाम ।
- क्रियाएँ ।
- शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग।

- अव्यय ।
- सन्धि– सरल शब्दों की सन्धि तथा उनका विच्छेद् (दीर्घ सन्धि)।
- संख्याएँ– संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान ।
- लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन।
- स्वर व्यंजन एवं विसर्ग सन्धियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य ।
- कवियों एवं लेखकों की रचनाएँ ।

ख) भाषा विकास का अध्यापन :–

- अधिगम और अर्जन ।
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत ।
- सुनने और बोलने की भूमिकाः भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं ।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श ।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाईयां, त्रुटियां और विकार ।
- भाषा कौशल ।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना : बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ।
- अध्यापन – अधिगम सामग्रियां : पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन।
- उपचारात्मक अध्यापन।

VI. गणित

क) विषय–वस्तु :– **30 प्रश्न**

- संख्याएँ एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग।
- लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक।
- भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग।
- दशमलव –जोड़, घटाना, गुणा व भाग।
- ऐकिक नियम।
- प्रतिशत।
- लाभ–हानि।
- साधारण ब्याज ।
- ज्यामिति–ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, ।
- धन (रूपया–पैसा)।
- मापन – समय, तौल, धारिता, लम्बाई एवं ताप।
- परिमिति (परिमाप) – त्रिभुत, आयत, वर्ग, चतुर्भुज।
- कैलेण्डर।
- आंकड़े।
- आयतन, धारिता–घन, घनाभ।
- क्षेत्रफल – आयत, वर्ग।
- रेलवे या बस समय–सारिणी।
- आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं निरूपण।

ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे :–

- गणितीय/तार्किक चिंतन की प्रकृति; बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना ।
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान ।
- गणित की भाषा ।
- सामुदायिक गणित।
- औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन ।
- शिक्षण की समस्याएं ।
- त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू ।
- नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण ।

VII. <u>पर्यावरणीय अध्ययन (विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण)</u> **30 प्रश्न**

क) विषय–वस्तु :–

- परिवार।
- भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
- आवास।
- पेड़–पौधे एवं जन्तु।
- हमारा परिवेश।
- मेला ।
- स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय ।
- जल।
- यातायात एवं संचार।
- खेल एवं खेल भावना।
- भारत –नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, एवं महासागर ।
- हमारा प्रदेश–नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात ।
- संविधान ।
- शासन व्यवस्था–स्थानीय स्वशासन, ग्राम–पंचायत, नगर–पंचायत, जिला–पंचायत, नगर–पालिका, नगर–निगम, जिला–प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय–प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता।
- पर्यावरण–आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण–संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएँ ।

ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे :–

- पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति ।
- पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन ।
- पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा ।
- अधिगम सिद्धांत ।
- विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध ।
- अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण ।
- क्रियाकलाप ।

- प्रयोग/व्यावहारिक कार्य ।
- चर्चा ।
- सतत् व्यापक मूल्यांकन।
- शिक्षण सामग्री/उपकरण ।
- समस्याएं ।

पेपर II (कक्षा VI से VIII के लिए) उच्च प्राथमिक स्तर

I. बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ **30 प्रश्न**

क) विषय-वस्तु :-

- बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र,बाल विकास की अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास ,संवेगात्मक विकास,भाषा विकास- अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास।
- बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक-वंशानुक्रम, वातावरण (पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयीय, संचार माध्यम)।

सीखने का अर्थ तथा सिद्धान्त :-

- अधिगम (सीखने) का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक,अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ।
- अधिगम के नियम- थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व।
- अधिगम के प्रमुख सिद्धान्त तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धान्त,पैवलव का सम्बद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धान्त,स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धान्त,कोहलर का सूझ या अन्तर्दृष्टि का सिद्धान्त,प्याजे का सिद्धान्त,व्योगास्की का सिद्धान्त सीखने का वक्र- अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण।

शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ :-

- शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, सम्प्रेषण, शिक्षण के सिद्धान्त, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ (उपागम), सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल।

समावेशी शिक्षा-निर्देशन एवं परामर्श :-

- शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथाः अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता (दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक्/अस्थिबाधित), मानसिक दक्षता।
- समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टी0एल0एम0 एवं अभिवृत्तियाँ ।
- समावेशित बच्चों का अधिगम जाँचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी।
- समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ। यथा-ब्रेललिपि आदि।
- समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श- अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र।
- परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग/संस्थाएँ ।
  - ➢ मनोविज्ञानशाला उ0प्र0, प्रयागराज।
  - ➢ मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र। (मण्डल स्तर पर)
  - ➢ जिला चिकित्सालय ।

- ➢ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षत डायट मेण्टर।
- ➢ पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तन्त्र।
- ➢ समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ ।
- ➢ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन।
- बाल–अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व।

ख) अध्ययन और अध्यापन :–

- बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं; बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों 'असफल' होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं; बालकों की अध्ययन कार्यनीतियां; सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ।
- एक समस्या समाधानकर्ता और एक 'वैज्ञानिक अन्वेषक' के रूप में बालक।
- बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना; अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की 'त्रुटियों' को समझना।
- बोध और संवेदनाएं।
- प्रेरणा और अधिगम।
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक – निजी एवं पर्यावरणीय।

II. भाषा– I

हिन्दी **30 प्रश्न**

(क) विषय –वस्तु :–

- अपठित अनुच्छेद।
- संज्ञा एवं संज्ञा के भेद।
- सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद।
- विशेषण एवं विशेषण के भेद।
- क्रिया एवं क्रिया के भेद।
- वाच्य – कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य
- हिन्दी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजनो, एवं अनुस्वार एवं चन्द्रबिन्दु में अन्तर।
- वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द।
- अव्यय के भेद।
- अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग।
- "र" के विभिन्न रूपों का प्रयोग।
- वाक्य निर्माण (सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य)।
- विराम चिह्नों की पहचान एवं उपयोग।
- वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग।
- तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द।
- उपसर्ग एवं प्रत्यय।
- शब्द युग्म।
- समास, समास विग्रह एवं समास के भेद।

- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
- क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक।
- सन्धि एवं सन्धि के भेद। (स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग सन्धियाँ)।
- अलंकार। (अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति)

ख) भाषा विकास का अध्यापन :–

- अधिगम अर्जन ।
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत ।
- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्श ।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार ।
- भाषा कौशल ।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना : बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ।
- अध्यापन – अधिगम सामग्रियां : पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन ।
- उपचारात्मक अध्यापन ।

III. भाषा – II **30 प्रश्न**

ENGLISH

क) विषय–वस्तु :–

- Unseen Passage
- Nouns and its Kinds
- Pronoun and its Kinds
- Verb and its Kinds
- Adjective and its Kinds & Degrees
- Adverb and its Kinds
- Preposition and its Kinds
- Conjunction and its Kinds
- Intersection
- Singular and Plural
- Subject and Predicate
- Negative and interrogative sentences
- Masculine and Feminine Gender
- Punctuations
- Suffix with Root words
- Phrasal Verbs
- Use of Somebody, Nobody, Anybody
- Part of speech
- Narration
- Active voice and Passive voice
- Antonyms & Synonyms
- Use of Homophones
- Use of request in sentences

- Silent Letters in words

IV. भाषा – II **30 प्रश्न**

उर्दू

क) विषय–वस्तु : –

- अपठित अनुच्छेद।
- ज़बान की फन्नी महारतों की जानकारी।
- मुखतलिफ असनाफ़े अदब हम्द, ग़ज़ल, कसीदा, मर्सिया, मसनवी, गीत वगैरह की समझ एवं उनके फर्क को समझना।
- मुखतलिफ शायरों, अदीबों की हालाते जिन्दगी से वाकफियत एवं उनकी तसानीफ की जानकारी हासिल करना।
- मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब में उर्दू जब़ान की खिदमत और अहमियत से वाकफियत हासिल करना।
- इस्म व उसके अक़साम, फेल, सिफत, ज़मीर, तज़कीरओं तानीस, तज़ाद की समझा।
- सही इमला एवं एराब की जानकारी होना।
- मुहावरे एवं जर्बुल अमसाल से वाक़फियत हासिल करना।
- सनअतों की जानकारी होना।
- सियासी, समाजी एवं एख्लाकी मसाइल के तईं बेदार होना और उस पर अपना नज़रिया वाज़े रखना।

V. भाषा – II **30 प्रश्न**

संस्कृत

क) विषय–वस्तु :–

- अपठित अनुच्छेद।
- सन्धि – स्वर, व्यंजन।
- अव्यय ।
- समास।
- लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग।
- उपसर्ग।
- पर्यायवाची।
- विलोम।
- कारक।
- अंलकार।
- प्रत्यय।
- वाच्य।
- संज्ञाएँ – निम्नवत् सभी शब्दों की सभी विभक्ति एवं वचनों के रूपों का ज्ञान–
  - ➢ पुल्लिंग शब्द।
  - ➢ स्त्रीलिंग शब्द।
  - ➢ नपुसंकलिंग शब्द।

- अकारान्त पुल्लिंग ।
- आकारान्त स्त्रीलिंग।
- अकारान्त नपुंसकलिंग।
- उकारान्त पुल्लिंग।
- उकारान्त स्त्रीलिंग।
- उकारान्त नपुंसकलिग।
- ईकारान्त पुल्लिंग ।
- ईकारान्त स्त्रीलिंग।
- ईकारान्त नपुंसकलिंग।
- ऋकारान्त पुल्लिंग।

- सर्वनाम ।
- विशेषण।
- धातु ।
- संख्याएँ ।

ख) भाषा विकास का अध्यापन :–

- अधिगम और अर्जन।
- भाषा अध्यापन के सिद्धांत ।
- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं ।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाईयां, त्रुटियां और विकार ।
- भाषा कौशल ।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना : बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ।
- अध्यापन– अधिगम सामग्री : पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन ।
- उपचारात्मक अध्यापन ।

VI. गणित एवं विज्ञान — 60 प्रश्न

1. गणित

क) विषय–वस्तु :–

- प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ ।
- पूर्णांक, कोष्ठक लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक ।
- वर्गमूल।
- घनमूल।
- सर्वसमिकाएँ ।
- बीजगणित, अवधारणा–चर संख्याएँ, अचर संख्याएँ, चर संख्याओं की घात।
- बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, एक, दो एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा।

- युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण।
- समान्तर रेखाएँ, चतुर्भुज की रचनाएँ, त्रिभुज ।
- वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज।
- वृत्त की स्पर्श रेखाएँ ।
- वाणिज्य गणित– अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ–हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर (टैक्स), वस्तु विनिमय प्रणाली ।
- बैंकिग–वर्तमान मुद्रा, बिल तथा कैशमेमो।
- सांख्यिकी– आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, बारम्बारता।
- पाई एवं दण्ड चार्ट, अवर्गीकृत आँकड़ों का चित्र।
- सम्भावना (प्रायिकता) ग्राफ, दण्ड, आरेख तथा मिश्रित दण्ड आरेख।
- कार्तीय तल।
- क्षेत्रमिति। (मेन्सुरेशन)
- घातांक।

(ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे :–

- गणितीय/तार्किक चिंतन की प्रकृति ।
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान ।
- गणित की भाषा ।
- सामुदायिक गणित ।
- मूल्यांकन ।
- उपचारात्मक शिक्षण ।
- शिक्षण की समस्याएं ।

2- विज्ञान

(क) विषय–वस्तु :–

- दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
- रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक। (प्रक्रिया)
- सजीव, निर्जीव पदार्थ –जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जन्तु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जन्तुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जन्तुओं एवं पौधों में परिवर्तन।
- जन्तु की संरचना व कार्य।
- सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण।
- कोशिका से अंगतन्त्र तक।
- किशोरावस्था, विकलांगता।
- भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र।
- जन्तुओं में पोषण।
- पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे।
- जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जन्तु।
- मापन।
- विद्युत धारा।

- चुम्बकत्व।
- गति, बल एवं यंत्र।
- ऊर्जा।
- कम्प्यूटर।
- ध्वनि।
- स्थिर विद्युत।
- प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र।
- वायु–गुण, संघटन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव।
- जल – आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल–संरक्षण।
- पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति।
- पास–पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन।
- अम्ल, क्षार, लवण।
- ऊष्मा एवं ताप।
- मानव निर्मित वस्तुएँ, प्लास्टिक, काँच, साबुन, मृतिका।
- खनिज एवं धातु।
- कार्बन एवं उसके यौगिक।
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत।

ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे :–

- विज्ञान की प्रकृति और संरचना ।
- प्राकृतिक विज्ञान / लक्ष्य और उद्देश्य ।
- विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना ।
- दृष्टिकोण / एकीकृत दृष्टिकोण ।
- प्रेक्षण / प्रयोग / अन्वेषण। (विज्ञान की पद्धति)
- अभिनवता ।
- पाठ्यचर्या सामग्री / सहायता–सामग्री ।
- मूल्यांकन ।
- समस्याएं ।
- उपचारात्मक शिक्षण ।

VII. सामाजिक अध्ययन व अन्य :– **60 प्रश्न**

क) विषय–वस्तु :–

I. **इतिहास**

- इतिहास जानने के स्रोत।
- पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति।
- छठी शताब्दी ई0पू0 का भारत।
- भारत के प्रारम्भिक राज्य।
- भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना।
- मौर्येतरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य।

- इस्लाम का भारत में आगमन।
- दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन।
- मुगल साम्राज्य, संस्कृति, पतन।
- यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना।
- भारत में कम्पनी राज्य का विस्तार।
- भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय।
- स्वाधीनता आन्दोलन, स्वतन्त्रता प्राप्ति, भारत विभाजन।
- स्वतन्त्र भारत की चुनौतियां।

II. **नागरिक शास्त्र :–**

- हम और हमारा समाज।
- ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन।
- ग्रामीण व नगरीय स्वशासन।
- जिला प्रशासन।
- हमारा संविधान।
- यातायात सुरक्षा।
- केन्द्रिय व राज्य शासन व्यवस्था।
- भारत में लोकतन्त्र।
- देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति।
- वैश्विक समुदाय एवं भारत।
- नागरिक सुरक्षा।
- दिव्यांगता।

III. **भूगोल :–**

- सौरमण्डल में पृथ्वी, ग्लोब– पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ।
- मानचित्रण, पृथ्वी के चार परिमण्डल, स्थल मण्डल– पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप ।
- विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार।
- उत्तर प्रदेश –भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव कृषि, खनिज उद्योग–धन्धे जनसंख्या, एवं नगरीकरण।
- धरातल के रूप, बदलने वाले कारक। (आंतरिक एवं वाहय कारक)
- वायुमण्डल, जलमण्डल।
- संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन।
- खनिज संसाधन, उद्योग–धन्धें।
- आपदा एवं आपदा प्रबन्धन।

IV. **पर्यावरणीय अध्ययन :–**

- पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता।
- प्राकृतिक संतुलन ।
- संसाधनों का उपयोग।

- जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण—प्रदूषण।
- अपशिष्ट प्रबन्धन, आपदाएँ, पर्यावरणविद्, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेण्डर।

V. **गृहशिल्प / गृहविज्ञान :–**

- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
- पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार।
- खाद्य पदार्थों का संरक्षण।
- प्रदूषण।
- पाचन सम्बन्धी रोग एवं सामान्य बीमारियाँ ।
- गृह प्रबन्धन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला।

VI. **शारीरिक शिक्षा एवं खेल :–**

- शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम।
- मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार।
- छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अन्तर्राष्ट्रीय खेल।
- खेल और हमारा भोजन।
- प्राथमिक चिकित्सा।
- नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचाव का का उपाय, खेलकूद, खेल प्रबन्धन एवं नियोजन का महत्व।

VII. **संगीत :–**

- स्वर ज्ञान।
- राग परिचय ।
- संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान।
- तीव्र मध्यम वाले राग।
- वन्दना गीत / झण्डा गान।
- देशगान, देशगीत, भजन।
    - ➢ वनसंरक्षण / वृक्षारोपण।
    - ➢ क्रियात्मक गीत ।

VIII. **उद्यान विज्ञान एवं फलसंरक्षण :–**

- मिट्टी, मृदा गठन, भू—परिष्करण, यंत्र, बीज, खाद उर्वरक।
- सिंचाई, सिचाई के यंत्र।
- बाग लगाना, विद्यालय वाटिका।
- झाड़ी एवं लताएँ, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूल की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती
- प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन
- फल परीक्षण, फल संरक्षण—जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना
- जलवायु विज्ञान
- फसल चक्र

ख) अध्यापन संबंधी मुद्दे :–

सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति :–

- कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान ।
- विवेचित चिंतन का विकास करना ।
- पूछताछ/अनुभवजन्य साक्ष्य ।
- सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं ।
- प्रोजेक्ट कार्य ।
- मूल्यांकन।

टिप्पणी : कक्षा I से VIII तक की विस्तृत पाठ्यचर्या के लिए कृपया बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का अवलोकन करें।

परिशिष्ट– II
(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 15.3 का संलग्नक)

क. यूपीटीईटी के आयोजन के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया :–

1. परीक्षा कक्ष/हॉल परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व खोले जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ट्रेफिक जाम, ट्रेन/बस की देरी इत्यादि के कारण समय पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह संभव है कि वे परीक्षा हॉल में घोषित किए जाने वाले सामान्य अनुदेशों को सुनने से वंचित हो जाएं।
2. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड),पासपोर्ट) की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा –
   (i) प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति
   (ii) सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार/सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति

   जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश–पत्र, पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित की जाएगी जिस पर उसका रोल नम्बर दर्शाया गया होगा। अभ्यर्थी को अपने लिए आबंटित सीट पर ही बैठना होगा। यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने उसे आवंटित किए गए अपने कमरे अथवा सीट को बदला है, तो उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के पश्चात् आता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष के भीतर प्रवेश–पत्र तथा काले बॉल प्वांइट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य–सामग्री, कैलकुलेटर, डॉकुपेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त में से कोई भी सामान पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को **'अनुचित तरीके'** के रूप में माना जाएगा और वह सामग्री भी जब्त करते हुए उसकी विद्यमान परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।
6. केन्द्र अधीक्षक अथवा संबंधित निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई भी अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा, जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो गया हो। अभ्यर्थी अपनी उत्तर–पुस्तिकाएं ड्यूटी पर उपस्थित निरीक्षक को सौंपे बिना कक्षा/हॉल से बाहर नहीं जाएंगे।

7. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्ड बोर्ड अथवा एक क्लिपबोर्ड लेकर आएं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ताकि परीक्षा कक्ष/हॉल में उन्हें उपलब्ध कराई गई मेजों की सतह के समतल न होने की स्थिति में भी उन्हें उत्तर–पुस्तिकाओं पर अपने उत्तर अंकित करने में कोई कठिनाई न हो। उन्हें अपने साथ अच्छी क्वालिटी के बॉल प्वाइंट पेन (काला) लाने चाहिए। इन्हें परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
8. परीक्षा हॉल/कक्ष में धूम्रपान करना, गुटका चबाना, थूकना आदि सख्त मना है।
9. परीक्षा घंटों के दौरान परीक्षा कक्षों में चाय, कॉफी, शीतल पेय आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।
10. पेपर के आरंभ होने के दस मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद टेस्ट–बुकलेट दी जाएगी जिसके भीतर उत्तर पुस्तिका रखी होगी।
11. टेस्ट–बुकलेट के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी टेस्ट–बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल बॉल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। वे तब तक टेस्ट–बुकलेट को नहीं खोलेंगे, जब तक कि निरीक्षक द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया हो। घोषणा होने से पूर्व उसकी सील को न खोलें/तोड़ें।

<u>परीक्षा से पूर्व महत्वपूर्ण अनुदेश :–</u>

12. पेपर के आरंभ होने से पांच मिनट पूर्व अभ्यर्थी को टेस्ट–बुकलेट की सील को तोड़ने/खोलने के लिए कहा जाएगा। वे अपना उत्तर–पत्रक सावधानीपूर्वक निकालेंगे। अभ्यर्थी को सावधानी से जांच करनी चाहिए कि उत्तर–पत्रक पर अंकित टेस्ट–बुकलेट कोड वही है जो टेस्ट–बुकलेट पर अंकित है। इनमें भिन्नता होने के मामले में, अभ्यर्थी को तत्काल ही इसकी सूचना टेस्ट–बुकलेट और उत्तर–पत्रक को बदलने के लिए परीक्षा निरीक्षक को देनी चाहिए।
13. इसके पश्चात अभ्यर्थी उत्तर–पत्रक पर अपने विवरण केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से लिखेंगे। पेंसिल के प्रयोग की पूरी तरह से मनाही है। यदि कोई पेंसिल का प्रयोग करता है, तो उत्तर–पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस चरण को पूरा करने के पश्चात, अभ्यर्थी निरीक्षक के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे।
14. परीक्षा ठीक उसी समय पर आरंभ होगी जिसका उल्लेख प्रवेश–पत्रक में किया गया है तथा निरीक्षक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी।
15. परीक्षा के समय के दौरान, निरीक्षक प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश–पत्रक की जांच करेंगे ताकि वे प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान के बारे में संतुष्ट हो सकें। निरीक्षक उत्तर–पत्रक पर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

<u>अनुचित तरीके</u> :

16. अभ्यर्थी बिल्कुल शांत रहेंगे तथा केवल अपने प्रश्न–पत्र को ही ध्यान लगाकर हल करेंगे। परीक्षा कक्ष/हॉल में किसी प्रकार के वार्तालाप, इशारे अथवा व्यवधान को दुर्व्यवहार माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित तरीकों का प्रयोग करता हुआ अथवा किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया, तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।
17. परीक्षा के आरंभ में तथा आधा समय बीतने पर एक संकेत दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के समय से पूर्व भी एक संकेत दिया जाएगा तब अभ्यर्थी को अपने उत्तर अंकित करना बंद कर देना होगा।
18. अभ्यर्थी यह जांच करेंगे कि टेस्ट–बुकलेट में उतने ही पृष्ठ हैं जितने कि टेस्ट–बुकलेट के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर लिखे हुए हैं। अभ्यर्थी टेस्ट–बुकलेट से कोई पृष्ठ नहीं निकालेंगे तथा यदि उसे अपनी टेस्ट–बुकलेट से कोई पृष्ठ निकालते हुए पाया जाता है, तो इसे अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला माना जाएगा तथा अभ्यर्थी आपराधिक कार्रवाई का पात्र होगा।
19. अभ्यर्थी को उपस्थिति–पत्रक में उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे।

ख. टेस्ट–बुकलेट तथा उत्तर–पत्रक का प्रयोग करने के लिए अनुदेश :–

1. अभ्यर्थी को सीलबंद टेस्ट–बुकलेट के भीतर उत्तर–पत्रक प्राप्त होगा। निरीक्षक द्वारा घोषणा किए जाने पर ही अभ्यर्थी द्वारा सील को तोड़ा/खोला जाएगा तथा उत्तर–पत्रक को बाहर निकाला जाएगा। घोषणा से पहले सील न खोले/तोड़े।
2. प्रश्न पुस्तिका पर एक पूर्व–मुद्रित टेस्ट–बुकलेट कोड होगा जैसे A, B, C, D या P,Q,R,S। अभ्यर्थी को यह जांच करनी होगी कि उत्तर–पत्रक पर पूर्व–मुद्रित टेस्ट–बुकलेट संख्या वही है जो टेस्ट–बुकलेट पर मुद्रित है।
3. प्रयोग में लाया जाने वाला उत्तर–पत्रक विशेष प्रकार का होगा जिसे 'आप्टिकल स्कैनर' पर स्कैन किया जाएगा।

   उत्तर–पत्रक में निम्नलिखित कॉलम होंगे, जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से साफ–साफ और सही–सही भरा जाना है। पेंसिल के प्रयोग की मनाही है।

   (i) अभ्यर्थी का नाम ।
   (ii) पिता/पति का नाम।
   (iii) माता का नाम ।
   (iv) केन्द्र संख्या ।
   (v) परीक्षा केन्द्र का नाम ।
   (vi) कैटेगरी।
   (vii) रोल नम्बर ।
   (viii) टेस्ट बुकलेट संख्या।
   (ix) प्रश्न पुस्तिका सीरीज ।
   (x) भाषा विकल्प।
   (xi) कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर ।
   (xii) अभ्यर्थी का हस्ताक्षर।
   (xiii) पेपर–II के लिए चुना गया विषय ।(केवल पेपर–।। के मामले में)

उत्तर को अंकित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देशः–

i) प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर के लिए केवल एक वृत्त को काले बॉल प्वाइंट पेन से पूरी तरह से गहरा करना होगा। उदाहरण के लिए टेस्ट बुकलेट में प्रश्न संख्या 008 इस प्रकार है : –

   नेपाल की राजधानी है–

   (1) काठमांडू
   (2) दुबई
   (3) टोक्यो
   (4) डिब्रुगढ़

   इस प्रश्न का सही उत्तर (1) काठमांडू है। अभ्यर्थी को उत्तर–पत्रक में प्रश्न सं0 008 ढूंढना होगा तथा वृत्त 1 को नीचे दर्शाए गए अनुसार गहरा करना होगा : –

   008 ● ② ③ ④

ii) उपर्युक्त वृत्त को पूरी तरह से गहरा करने के लिए काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें अर्थात एक प्रविष्टि के लिए एक वृत्त।

iii) एक बार अंकित किया गया उत्तर बदला नहीं जा सकेगा। पेंसिल का प्रयोग पूरी तरह से मना है। यदि अभ्यर्थी उत्तर–पत्रक को गहरा करने के लिए पेंसिल का प्रयोग करता है, तो उसका उत्तर–पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

iv) हल्का तथा धुंधली तरह से गहरा किया गया वृत्त मार्किंग की गलत पद्धति माना जाएगा तथा ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

v) यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, तो उसे उस प्रश्न के सम्मुख दिए गए वृत्तों में से किसी को भी गहरा नहीं करना चाहिए।

vi) कृपया उत्तर–पत्रक को मोड़े नहीं तथा उस पर कोई अवांछनीय निशान भी न लगाएं।

4. उत्तर में परिवर्तन की अनुमति नहीं है, अभ्यर्थी को उपर्युक्त वृत्त को गहरा करने से पूर्व उत्तर की सटीकता के विषय में स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि एक बार मार्क कर दिए गए उत्तर में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है क्योंकि उत्तर–पत्रक मशीन ग्रेडेबल है और इससे गलत मूल्यांकन हो सकता है जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी पर ही होगा।

5. <u>रफ कार्य</u>

अभ्यर्थी को उत्तर–पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना चाहिए। समस्त रफ कार्य केवल टेस्ट बुकलेट पर ही किया जाना है।

6. परीक्षा समाप्त होने के तुरंत पश्चात उत्तर–पत्रक को सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी को साक्ष्य के रूप में उपस्थिति–पत्रक में अवश्य ही हस्ताक्षर करने चाहिए। परीक्षार्थी को टेस्ट–बुकलेट साथ ले जाने की अनुमति है।

7. मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तर–पत्रक की गैर–अनुपलब्धता के विषय में किसी विसंगति के मामले में, यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी टेस्ट–बुकलेट के साथ उत्तर–पत्रक को भी अपने साथ ले गया है तथा ऐसे मामले में अभ्यर्थी का परिणाम रद्द किए जाने योग्य होगा।

8. अभ्यर्थी उत्तर पत्रक के नीचे दिये कालम में हल किये गये प्रश्नों की संख्या अवश्य लिखें।

परिशिष्ट – III

(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 18.4 का संलग्नक)

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश :–

यूपीटीईटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार से अपेक्षा है:–

1. यूपीटीईटी के लिए आवेदन में अभ्यर्थी की हस्ताक्षर युक्त फोटोग्राफ अपलोड करने की सुविधा के साथ पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। सभी विवरण ऑनलाइन भरे जाएंगे और आवेदन पत्र भरते समय हस्ताक्षर युक्त फोटोग्राफ (केवल जेपीईजी प्रारूप में) का स्कैन अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी की तस्वीर एवं हस्ताक्षर (जेपीईजी प्रारूप) स्कैन करके रखने की सलाह दी जाती है।
2. वेबसाइट पर ऑनलाइन आवदेन से सम्बन्धित दिये गये सामान्य दिशानिर्देश, तकनीकी दिशा–निर्देश, शासनादेश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसमें दी गई सभी अपेक्षाओं से अवगत होना।
3. परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता से संतुष्ट होना।
4. किसी भी वेबसाइट पर जाकर पूरा ब्योरा देकर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना।
5. बैंक के नवीनतम तकनीक के द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्प इंटरनेट बैंकिग/डेविडकार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में आश्वस्त होना।
6. आवेदन करते समय पोस्टल पिन कोड सहित पूरा डाक का पता लिखें।
7. **ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि**

- वेबसाइट पर लॉगआन करें ।
- "Apply on-line" लिंक पर जाएं और उसे खोलें।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेशों एवं प्रकिया को ध्यानपूर्वक पढें। इस पृष्ठ के अंत में ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित लिंक दिए गए हैं :–

(क) ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भाग–I में प्राथमिक सूचनाएं भरें ।

(ख) अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नं0 पर भेजे गये पंजीकरण संख्या एवं पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भेजे गये "OTP" के माध्यम से वैरीफाई करना एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करना।

(ग) ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भाग–II में शैक्षिक योग्यता एवं आवश्यक सूचना पूरित करना।

(ग) ऑनलाइन आवेदन फार्म भाग–III में स्कैन फोटो इमेज अपलोड करें।

(घ) ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण कर पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंट लें और अपने पास सुरक्षित रखें।

- ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण पत्र के उक्त समस्त चरणों को पूरित करना अनिवार्य है। किसी एक भी चरण की प्रविष्टियों को अंकित न किये जाने/फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड न किये जाने पर आवेदन पत्र पूरित नहीं माना जाएगा एवं आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर, ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर ले।
- अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि – **"मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गयी प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मै अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ, फाइनल सेव होने के उपरान्त मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर देय नहीं होगा।"**

  उक्त घोषणा पत्र को चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गये OTP को Verify करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने सही मोबाइल नं0 का अंकन करें।
- आवेदन पत्र की ऑनलाइन पजीकरण एवं पुष्ठिकरण पृष्ठ (आवेदन पूर्ण होने) का प्रिंट लेने के लिए लिंकों का अलग से भी प्रयोग किया जा सकता है।
- नियत तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद भी, यदि कम्प्यूटर सर्जित पुष्टीकरण पृष्ठ अंतिम तिथि को प्राप्त नही होता है अथवा बिना अपेक्षित शुल्क के प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा।

परिशिष्ट – IV

(मार्गदर्शी सिद्धान्त के नियम 23.4 का संलग्नक)

जनपद कोड :क्रम संख्या ही कोड है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	क्र0सं0	जनपद का नाम
1.	आगरा	39.	झाँसी

2.	हाथरस	40.	ललितपुर
3.	अलीगढ	41.	जालौन
4.	मथुरा	42.	वाराणसी
5.	फिरोजाबाद	43.	चन्दौली
6.	मैनपुरी	44.	जौनपुर
7.	एटा	45.	गाजीपुर
8.	बरेली	46.	मिरजापुर
9.	बदाँयू	47.	सोनभद्र
10.	शाहजहाँपुर	48.	संतरविदासनगर
11.	पीलीभीत	49.	आजमगढ़
12.	मुरादाबाद	50.	मऊ
13.	अमरोहा	51.	बलिया
14.	रामपुर	52.	गोरखपुर
15.	बिजनौर	53.	महराजगंज
16.	कानपुरनगर	54.	देवरिया
17.	कानपुरदेहात	55.	कुशीनगर
18.	कन्नौज	56.	बस्ती
19.	फर्रूखाबाद	57.	संतकबीरनगर
20.	औरैया	58.	सिद्धार्थनगर
21.	इटावा	59.	अयोध्या
22.	मेरठ	60.	अम्बेडकरनगर
23.	बागपत	61.	सुल्तानपुर
24.	गाजियाबाद	62.	बाराबंकी
25.	गौतमबुद्धनगर	63.	गोण्डा
26.	बुलन्दशहर	64.	बलरामपुर
27.	मुजफ्फनगर	65.	बहराइच
28.	सहारनपुर	66.	श्रावस्ती
29.	लखनऊ	67.	चित्रकूट
30.	उन्नाव	68.	बांदा
31.	रायबरेली	69.	महोबा
32.	सीतापुर	70.	हमीरपुर
33.	हरदोई	71.	अमेठी
34.	लखीमपुरखीरी	72.	कांसगंज
35.	प्रयागराज	73.	शामली
36.	कौशाम्बी	74.	हापुड़
37.	फतेहपुर	75.	सम्भल
38.	प्रतापगढ़		

4— उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0) 2019 को सम्पन्न कराये जाने हेतु परीक्षा कार्यक्रम / समय—सारणीः—

क्र0सं0	कार्यक्रम का विवरण	कार्य सम्पन्न करने के लिए अवधि का निर्धारण	
1	विज्ञापन का प्रकाशन	31.10.2019	
2	आनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि	01.11.2019 (अपराह्न से)	
3	रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	20.11.2019	
4	आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	21.11.2019	
5	आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अन्तिम तिथि	22.11.2019	
6	परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि	22.11.2019	
7	जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने की तिथि	02.12.2019	
8	जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करके केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी दोनों) सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराने की तिथि	04.12.2019	
9	केन्द्रों की सॉफ्ट कापी एन0आई0सी0 लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि	06.12.2019	
10	प्रवेश पत्र Website पर load करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में load होने की सूचना की विज्ञप्ति	12.12.2019 (अपराह्न से)	
11	एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त कराने की तिथि	17.12.2019	
12	अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि	20.12.2019	
13	डबल lock में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं ओ0एम0आर0 शीट (उत्तर पुस्तिका) जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि	20.12.2019	
14	**यू0पी0टी0ई0टी0 परीक्षा की तिथि**	**22.12.2019**	**प्रथम पाली—प्राथमिक स्तर समय—10:00 से 12:30 बजे**
			द्वितीय पाली—उच्च प्राथमिक स्तर समय—2:30 से 05:00 बजे
15	परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर	24.12.2019 तक	

SU TET DEL GO

	पुस्तिकाओं / ओ0एम0आर0 शीट के शील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की तिथि	
16	लिखित परीक्षा के उपरान्त उत्तर माला को Website पर जारी करने की तिथि	26.12.2019 (अपराह्न)
17	वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	30.12.2019
18	प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निराकरण करने की तिथि	13.01.2020
19	आपत्ति पर विषय–विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि	16.01.2020
20	**विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन कराके परीक्षाफल घोषित करने की तिथि**	**21.01.2020**
21	परीक्षाफल घोषित होने के बाद प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि	परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

SU TET DEL GO